न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

सिंघिया थाना काण्ड सं0 127/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 1069/19

17.9.19 आवेदक 1. **महेश सहनी,** जो सिंघिया थाना काण्ड सं0 129/19, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 4.9.19 से काराधीन है, की ओर से पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री परमेश्वर प्रसाद सिंह जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। वह दि0 4.9.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त के घर से एक लीटर चुलाई देशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक दि0 4.9.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति, बरामद चुलाई शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो0 दस हजार रू0 के बंद्य–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि एक जमानतदार आवेदक अभियुक्त का माता/पिता अथवा निकट संबंधी होगा

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद